



कार्यालय मुख्य आयुक्त  
Office of the Chief Commissioner  
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर  
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा.सं.: GCCO/II/3/POST/6/2025-ADMN

**कार्यालय आदेश सं. : 13/2025**

दिनांक: 03.06.2025

श्री राजेश अगरवाला, सहायक आयुक्त, अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर जो सीजीएसटी एवं के.उ.शु. आयुक्तालय, जयपुर में पदस्थापना के दौरान जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण (GSTAT), जयपुर बेंच एवं सीबीआईसी (एआर) कार्यालय से सम्बंधित कार्य संभाल रहे थे, वे पूर्ववत इन कार्यों को अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर में प्रदत्त नियमित कार्यभार के साथ अतिरिक्त रूप से अग्रिम आदेशों तक संभालते रहेंगे।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)  
संयुक्त आयुक्त

**प्रति निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. प्रधान आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर
2. आयुक्त, अंकेक्षण, जयपुर
3. श्री राजेश अगरवाला, सहायक आयुक्त, अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर
4. नोटिस बोर्ड/ गार्ड फाईल
5. वेबमास्टर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु